(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476
& 2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं. No. 7/2/2019/IR&W/14-333 नवम्बर November 21, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त होने पर आश्रित माता-पिता के लिए आय सीमा में संशोधन ।

Sub : Revision of income ceiling for dependent parents on attaining the age of 80 years and above – reg.

******

विभाग के दिनांक 28.12.2016 के का.ज्ञा. सं. 7/14/2016/आईआरएण्डडब्ल्यू/17165 के साथ पठित सीएचएसएस नियम 1998 को खंड 4.1 (डी) के अनुसार, मुख्य लाभार्थी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, जो सामान्यत: मुख्य लाभार्थी के साथ रहते हैं और उनकी सभी स्रोतों से कुल आय विचारार्थ तिथि पर रु. 9000/- से अधिक न हो + मंहगाई राहत (DR) की राशि (मंहगाई भत्ता विचारार्थ तिथि पर पैंशनर द्वारा आहरित राशि होगी, न कि विचारार्थ तिथि पर देय मंहगाई राहत), को सीएचएसएस सुविधा प्रदान की गई है।

In terms of Clause 4.1(d) of CHSS Rule, 1998 read with Department's OM No. 7/14/2016/IR&W/17165 dated 28.12.2016, CHSS facility has been extended to parents of the prime beneficiary who are wholly dependent on the prime beneficiary and normally residing with the prime beneficiary and further provided the monthly income of both the parents from all sources does not exceed Rs.9000/- plus the amount of Dearness Relief (DR) as on the date of consideration (DR will be the amount drawn by a pensioner on the date of consideration and not the amount of DR due on the date of consideration).

2. विभागीय परिषद और विभाग की यूनिटों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें आश्रित माता-पिता द्वारा 80 वर्ष या अधिक वर्ष प्राप्त होने पर प्रदत्त अतिरिक्त पेंशन के कारण आश्रित माता-पिता की आय में संशोधन के परिणामस्वरूप रु. 9000/- की सीमा पार करने+मंहगाई राहत के लिए आय की सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।

A reference has been received from the Departmental Council and also from the Units of the Department seeking clarification regarding income ceiling consequent to revision in income of dependent parents due to additional pension granted on attaining the age of 80 years and above and thereby crossing the limit of Rs.9000/-+DR.

......2/-

3. इस मामले को सीएचएसएस समीक्षा समिति को भेजा गया और विचार-विमर्श के बाद समिति ने मामले को यथावत रखने की सिफारिश की है।

The matter was referred to the CHSS Review Committee and after deliberations the Committee has recommended to maintain status-quo in the matter.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सेवा में **To**

सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारी
All CHSS Administering Authorities